

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरी सिंह गुजर 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ मन्दायक  
 3. वर्तमान वेतन 6875 + अगरी वेतनवृद्धि की तारीख दिसम्बर 10

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ध्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम अमकरा तह: दूजूर जिला भीपाल	-	19 एकड़	शांत नदी	पेट्रिकु सम्पत्ति सेवक के नाम से खरीदी	पिता श्री हरकृष्ण सिंह गुजर की मूल्य 1986 के उपरान्त भरे नाम से आगयी	वर्ष 2010 1 लाख	
2. ग्राम लाम्ब्याखेडा तह: दूजूर जिला भीपाल	-	33 डेसीमल	शांत नदी	स्वयं के नाम	कम की गई 1995 में ₹ 66000/- गोसुराहत की मुद्दा राजा राशी स्वयं एवं पति मूल्य ₹ 50,000/-		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर हरी सिंह गुजर  
 नाम हरी सिंह गुजर  
 पद वरिष्ठ मन्दायक